



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर छेड़खानी व जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-12/2016धारा-354क,323,504,506 भा0द0सं0,08 पॉक्सो एक्ट व 3(1)11 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ब्रजेश राजपूत पुत्र रामसहोदर राजपूत निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-354क,323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)11एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक-  
सीओ विजय  
त्रिपाठी



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव